संख्याः-52/2025/1081/2025/12-5099/23/2023

प्रेषक,

दीपक कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   राजस्व विभाग/चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/पंचायती राज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊःदिनांकः** **29 अगस्त, 2025**

विषयः- खरीफ मौसम 2025 से ई-खसरा पड़ताल (DCS) के साथ-साथ ही फार्मर रजिस्ट्री बनाये जाने का अभियान शुरू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-43/2024/648/12-5099/2023, कृषि अनुभाग-5 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फार एग्रीकल्चर) के अन्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं तथा शासनादेश संख्या-1337/12-5-2024/1803641/12-5/39/2023 कृषि अनुभाग-5 दिनांक 18 नवम्बर, 2024 द्वारा फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के सम्बन्ध में विशेष अभियान भी दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक चलाया गया था।

2- उल्लेखनीय है कि अद्यतन प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश में अब तक 50.28 प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा चुकी है, जो संतोषजनक प्रतीत नहीं होती है।

खरीफ मौसम (2025) से ई-खसरा पड़ताल (DCS) के साथ-साथ फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जा रहे है, जोकि निम्नवत् हैः-

1. दिनांक 16 अगस्त, 2025 से प्रारम्भ होने वाले ई-खसरा पड़ताल (DCS) के साथ-साथ फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने का अभियान भी शुरू किया जायेगा।
2. जिलाधिकारी फार्मर रजिस्ट्री के नोडल आफीसर तथा मुख्य विकास अधिकारी, प्रोजेक्ट आफीसर है। जनपद स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने हेतु जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा योजना सम्बन्धी समस्त कार्य अपने मार्गदर्शन में सुनिश्चित कराया जायेगा।
3. जिलाधिकारी प्रतिदिन फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति का अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।
4. फार्मर रजिस्ट्री हेतु प्रचार-प्रसार के कार्य का अनुश्रवण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा इस कार्य में जनपद का कृषि विभाग पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
5. फार्मर रजिस्ट्री के पंजीकरण एवं अप्रूवल का कार्य पी0एम0 किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किस्त प्राप्त होने के पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यद्यपि फार्मर रजिस्ट्री का यह अभियान खरीफ मौसम(2025) की ई-खसरा पड़ताल(DCS) के साथ प्रारम्भ किया जायेगा, परन्तु फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण होने तक यह अभियान जारी रहेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. नेम मैच स्कोर (NMS) 15 से कम होने पर लेखपाल द्वारा इसको ठीक कराने विषयक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिसका अनुश्रवण जिलाधिकारी द्वारा नामित राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

शासनादेश संख्या-43/2024/648/12-5099/2023, कृषि अनुभाग-5 दिनांक 12 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-1337/12-5-2024/1803641/12-5/39/2023 कृषि अनुभाग-5 दिनांक 18 नवम्बर, 2024 में निर्गत अन्य दिशा-निर्देश पूर्ववत लागू रहेंगे।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
दीपक कुमार
मुख्य सचिव

संख्याः-52/2025/1081/2025/ 12-5099/23/2023: तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।